न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 35/2023(GCMS 2023/134)
(आरटीआई संख्या 212932515629723)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र जयमल राम गांव व डाक मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर पिन–335038 (मोबाईल नं. 89479–59782)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>20.11.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जसवन्त सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. सही मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
2. गलत मानचित्र की प्रमाणित प्रति।
3. मु.नं. 57 व मु.नं. 29/16 में सिंचाई विभाग की भूमि के क्षेत्रफल की प्रमाणित जानकारी
4. शुद्धिकरण विधि की प्रमाणित जानकारी बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने पत्रांक भू.अ./आर टी आई/2024/6435 दिनांक 13.11.2024 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2023 जसवंत सिंह पुत्र जयमल राम जिसकी अपील संख्या 35/2023 है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपील संख्या 54/2024 में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6126 दिनांक 25.10.2024 को दिया जा चुका है। श्रीमान जी उक्त **दोनों अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र एक ही है।** सूचना आगामी कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर

तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने एक ही प्रार्थना पत्र से दो अपील प्रस्तुत की है। जिसमें एक अपील संख्या 54/2024 एवं दूसरी हस्तगत अपील सख्या 35/2023 है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 54/2024 अनवान् जसवंत सिंह बनाम तहसीलदार (भू.अ.),श्रीगंगानगर में दिनांक 18.11.2024 को निर्णय पारित कर प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है। अतः हस्तगत अपील भी उक्तानुसार खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:44:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर